कि उड़ीसा तथा मध्य प्रदेश में खानों का कार्यचालन कर रहा है, वर्ष 1990-91 में 58.08 मि. टन है। इस संबंध में वर्ष 1994-95 में कोयले के उत्पादन में लगभग 66.00 मि.टन तक की वृद्धि किए जाने के लिए योजनाएं तैयार की गई हैं और इसमें नई परियोजनाओं का लगभग 8.50 मि.टन का योगदान रहेगा। कुछ बड़ी परियोजनाएं, जिन्हें आठवीं पंचवर्षीय अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन में वृद्धि किए जाने के लिए विकसित किए जाने का कार्यक्रम है, व निम्नलिखित हैं:-

	(अंतिम क्षमता)
1. लिंगराज ओपनकास्ट	5 मि0 टन प्रतिवर्ष
2. लखनपुर "	5 " "
3. अनन्ता "	4 " "
4. समलेश्वरी "	3 " "
5. कलिंगा "	8 " "
6. शीतलधारा भूमिगत	0.8 " "
7. दुर्गा ओपनकास्ट	0.50" "
8. दिपीका " विस्तार	10 " "
9. लिहारी "	0.8 " "
10. वसुन्धरा "	2.5 " "

मध्य प्रदेश की लम्बित पन-बिजली और ताप बिजली परियोजनाएं

57. **श्री अजीत जोगी :**
श्रीमती वीणा वर्मा : क्या विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश की कुल कितनी पनबिजली और ताप बिजली परियोजनायें केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए इस समय लम्बित पड़ी हुई हैं और ये किन-किन स्तरों पर लम्बित हैं; और

(ख) उन्हें कब तक स्वीकृत कर दिये जाने की सम्भावना हैं ?

विद्युत और गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री कल्पनाथ राय) :

(क) मध्य प्रदेश की चौदह ताप विद्युत और जल विद्युत स्कीमों को निवेश संबंधी अनुमोदन/तकनीकी आर्थिक दृष्टि से अनुमोदन की प्रतीक्षा है, जिनका ब्यौरा निम्नवत है :—

परियोजना का नाम	क्षमता (मे०वा०)	के०वि०प्रा० में प्राप्त होने की तारीख	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4
ताप विद्युत			
1. कोरबा (पश्चिम) विस्तार	2X210 =420	3/89	के०वि०प्रा० द्वारा 30-10-89 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 27-7-90 को स्वीकृति प्रदान की गई। निवेश संबंधी अनुमोदन अभी दिया जाना है।

1	2	3	4
2. पेन्च चरण–2	2×250 =500	4/90	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज/ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है ।
3. गोपद	4×500 =2000	11/90	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज/ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है ।
4. संजय गांधी विस्तार बीरसिंहपुर	1×500 =500	12/90	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है।
5. ग्वालियर गैस आधारित संयुक्त साइकिल यंत्र	817	8/90	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज/ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है।
6. कोरबा (पूर्वी) विस्तार चरण–5	1×250 =250	5/91	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज/ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है।

1	2	3	4
7. बीना	4×250 =1000	5/91	केन्द्र एवं राज्य से कोयला लिंकेज/ पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति और नागर विमानन प्राधिकारियों से स्वीकृति और जल की उपलब्धता सुनिश्चित की जानी है तथा विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 29 का अनुपालन किया जाना है।
जल विद्युत			
8. बानसागर टोन्स पावर हाउस. 4	2×15=30 2×10=20	4/91(I) 9/90(II)	2 X 10 मेगावाट के लिए संशोधित रिपोर्ट पर केन्द्रीय जल आयोग की टिप्पणियों के बारे में उत्तर प्राप्त हो गये हैं और इनका मूल्यांकन किया जा रहा है।
9. ताल ब-या तट नहर (संशोधित)	2×6=12	10/90	के0वि0प्रा0/के0ज0 आयोग की टिप्पणियों के बारे में उत्तरों की प्रतीक्षा है। (4 X 3 मेगावाट की प्रतिस्थापन के लिए 5/87 में योजना आयोग द्वारा स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी)
10. महेश्वर	10×40 =400	4/88	के0वि0प्रा0 द्वारा 9-5-89 को तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति प्रदान की गई। पर्यावरण एवं वन संबंधी दृष्टि से स्वीकृति की प्रतीक्षा है।
11. गांधी सागर सोपान–2	4×40 =160	1/91	के0वि0प्रा0 की टिप्पणियों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।
12. मथनेर (संशोधित)	2×40 =80	1/91	के0वि0प्रा0/के0ज0 आयोग की टिप्पणियों के बारे में परियोजना प्राधिकारियों के उत्तर की प्रतीक्षा है।
13. ओंकारेश्वर बहु-उद्देशीय परियोजना	8×65 =520	2/91	2/91 में राज्य सरकार से अनुरोध किया गया था कि उनको भेजे गए के0वि0प्रा0की टिप्पणियों के आधार पर लागत अनुमान को अद्यतन बनायें।
14. सिन्ध (सोपान–2) बहुउद्देशीय	2×40 =80	2/91	विद्युत शक्यता संबंधी अध्ययनों की की राज्य प्राधिकारियों से प्रतीक्षा।

(ख) सभी संबंधित अपेक्षाओं की समुचित अनुपालना किए जाने के पश्चात् इन स्कीमो के लिए तकनीकी आर्थिक अनुमोदन/निवेश संबंधी अनुमोदन पर विचा किया जा सकेगा।